न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 109/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती रिधु पत्नी कमाल जाति मुसलमान निवासी ग्राम पोस्ट देताणी तहसील गडरा रोड जिला बाडमेर		1– जिमा पुत्र हामीद जाति मुसलमान निवासी देताणी तहसील गडरा रोड, बाडमेर 2– जुड खां पुत्र कामल खां 3– नसीर खां पुत्र भीखा खां 4– ईशा खां पुत्र अयुब खां 5– अरबाब पुत्र पाहला 6– बाहदुर खां पुत्र हाजी सखर जाति मुसलमान निवासी देताणी तहसील गडरा रोड जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 5–4–2019 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 61/2019 अनवान जिमा बनाम जुड खां वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री एम.एल.खत्री अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– रेस्पो0 संख्या 1 से 6 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 27–9–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 2 से 6 को प्रत्यर्थीगण बनाते हुए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का खातेदारी का खेत खसरा नंबर 2887/2628 रकबा 38.10 बीघा ग्राम देताणी तहसील गडरा रोड मे आया हुआ है, जिसके वे रेकर्डेड खातेदार है तथा अन्य प्रत्यर्थीगण के खेत उसके सेढा सेढ मे आये हुए है जिनके बीच सीमा चिन्ह या कोई पक्की माठ नही होने से वर्षा के मौसम मे सेढो को लेकर विवाद बना रहता है इसलिए प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मौका फर्द पैमाईश के अनुसार पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये परंतु उनकी ओर से कोई उपस्थित नही होने पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 5–4–19 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए खसरा नंबर 2887/2628 के चारो ओर पक्की नेखमबंदी हेतु तहसीलदार शिव को कमिश्नर नियुक्त कर दोनो पक्षो की मौजुदगी मे नेखमबंदी करने के आदेश पारित कर दिये । अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे अपीलांट जो कि अपीलाधीन खसरा नंबर का पडौसी खातेदार था उसे पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिससे अपीलांट व्यथित पक्षकार होने से वर्तमान अपील प्रार्थना पत्र बाबत अपील पेश करने की

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अनुमति , धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र आदि के साथ प्रस्तुत की गई है ।

वकील अपीलांट उपस्थित, रेस्पो0गण बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थियां के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई । अपीलार्थियां के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थियां के खातेदारी भूमि ग्राम देताणी के खसरा नंबर 2628 व 2352 मे आई हुई है जो रेस्पो0 संख्या 1 के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2887/2628 से लगती हुई है परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अपीलार्थियां को पक्षकार नही बनाये जाने से अपीलार्थियां को उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नही हो सकी तथा अपीलार्थियां अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रभावित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी कर वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं अपील पेश करने की अनुमति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है, जिन्हे स्वीकार करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलार्थियां ने कथन किया कि अपीलार्थियां का खेत प्रत्यर्थी संख्या 1 के खातेदारी के खेत से लगता हुआ है जिसके संबंध मे वर्तमान अपील के साथ जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की है तथा कथन किया कि अपीलार्थियां अपने खातेदारी की भूमि पर रहवासिय ढाणियां बनाकर परिवार सहित निवास कर रही है जिस पर विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है तथा मवेशियो के बाडे इत्यादि बने हुए है फिर भी रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदार को पक्षकार नही बनाया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना पडौसी खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलार्थियां ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करने से पूर्व सीमाज्ञान भी नही करवाया तथा अपीलार्थियां जो कि खसरा नंबर 2887/2628 की सेढा पडौसी है उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलार्थियां के खातेदारी खेत खसरा 2628 व 2352 की भूमि के लगभग 150–160 फीट अंदर तक नेखमबंदी का आदेश पारित कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलार्थियां ने कथन किया कि रेस्पो0गण की राजस्व रेकर्ड मे जमीन ज्यादा है परंतु मौके पर कम होने से उसकी पूर्ति करवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बाले–बाले आवेदन पेश कर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–4–2019 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

हमने अपीलार्थियां के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर गौरपूर्वक मनन किया तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी, नक्शा ट्रेस आदि का अवलोकन किया

जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थियां के खसरा नंबर 2628 व 2352 प्रत्यर्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत के खसरा नंबर 2887/2628 से लगते हुए है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे सभी पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाकर उनको सुना जाना आवश्यक था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए पारित किये गये अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थियां प्रभावित होने से अपील के साथ प्रस्तुत अपील पेश करने की अनुमति प्रार्थना पत्र एवं धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना दोनो ही स्वीकार किये जाते है ।

धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व विवादित भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे बनाई हुई होना आवश्यक है तथा पत्थरगढी के आदेश पारित करने से पूर्व सभी पडौसी खातेदारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है परंतु वर्तमान मामले मे ऐसी कोई कार्यवाही होना नही पाया जाता है जबकि अपीलार्थियां रेस्पो0 संख्या 1 के खातेदारी के खेत खसरा नंबर 2887/2628 की सेढा पडौसी है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–4–2019 निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थियां एवं सभी पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे पहले विधिवत सीमाज्ञान करवाये तथा उसके पश्चात सभी पडौसी खातेदारान को सुनवाई का नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से पत्थरगढी बाबत विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 27–9–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर